यूपी सरकार ने मौजूदा नीति में किया बदलाव, आकर्षक पैकेज के साथ संशोधित नीति ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में रखी जाएगी

रक्षा गलियारे में निवेश पर अब ज्यादा रियायतें

कैबिनेट के फैसले

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कारीडोर में बड़ी रक्षा कंपनियों की रुचि को देखते हुए कई और रियायतें देने की घोषणा की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 में बदलाव कर निवेशकों के लिए और रियायतें बढ़ा दी हैं। आकर्षक पैकेज के साथ यह संशोधित नीति अब अगले साल जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के सामने रखी जाएगी।

यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार व यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि डिफेंस आइटम्स अथवा आर्म्स एण्ड ऐम्युनिशन आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों को अपना प्लांट लगाने के लिए अब डिफेंस कारीडोर में जमीन दी जाएगी। अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है।

लखनऊ में मंगलवार को प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते नगर विकास एवं शहरी विकास मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं होमगार्ड्स एवं कारागार राज्यमंत्री (स्वतंत्रप्रभार) धर्मवीर प्रजापति।

इंडस्ट्रियल कारीडोर जल्द विकसित हों:योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ उसके आस पास औद्योगिक गलियारे विकसित करने का काम भी होना चाहिए। इससे क्षेत्र का और विकास होगा। रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस कारण यूपी को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के काम में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात कैबिनेट की बैठक में कही। उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर विभिन्न सेक्टरों से जुड़ी 10 नीतियों को संशोधित कर नया रूप देने का काम एक महीने में हो जाना चाहिए। इसमें नई औद्योगिक नीति भी शामिल हैं।

डिफेंस कॉरिडोर में गैर बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण कंपनी को कैपिटल सब्सिडी 07 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम 500 करोड़ रुपये) तक मिलेगी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवेश करने पर यह कैपिटल सब्सिडी 10 प्रतिशत की सीमा (अधिकतम 500 करोड़ रुपये) तक अनुमन्य होगा होगी।

मान्धाता बाजार नई नगर पंचायत बनेगी

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ की मानधाता बाजार को नगर पंचायत बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही जौनपुर की नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का सीमा विस्तार किया गया है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

आवासीय भवनों के लिए जमीन की व्यवस्था

लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को अग्निशमन केन्द्र रामपुर के आवासीय व अनावासीय भवन निर्माण के लिए नगर विकास विभाग की 7500 वर्ग मीटर जमीन गृह विभाग को हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अलीगढ़ एफसीआई बनेगा स्टेट इंस्टीट्यूट

लखनऊ। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अलीगढ़ के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (एफसीआई) को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट (एसआईएचएम) में उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इससे संस्थान की क्षमता का विस्तार होगा। प्रतिवर्ष लगभग 1700 से अधिक युवक और युवतियों को 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

ईको-पर्यटन विकास बोर्ड का गठन, सीएम होंगे अध्यक्ष

लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश में ईको-पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बोर्ड का गठन और विनियम को मंजूरी दे दी गई। अब वन क्षेत्र में बफर जोन के बाहर पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके।

बोर्ड की संरचना में ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड और ईको-टूरिज्म कार्यकारी समिति सम्मिलित होगी। बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा। ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के सदस्य 2 प्रकार के होंगे। शासकीय (पदेन) सदस्य एवं विशेष आमंत्री सदस्य। कृषि मंत्री, वन मंत्री, आयुष मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, सिंचाई मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वन निगम, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष बोर्ड के सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव पर्यटन बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन किया जाएगा।

पर्यटन विकास को बोर्ड करेगा यह काम

ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेकिंग, हाइकिंग, साइकिलिंग, कैरावन टूरिज्म, सी-प्लेन, रिवर क्रूज, एडवेंचर टूरिज्म, होटल/रिजॉर्ट एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास, बैलूनिंग, जंगल कैम्पिंग तथा वेलनेस टूरिज्म-आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य किये जाएंगे।

बड़े शहरों में अधिक, छोटे में कम देना होगा अंबार शुल्क

लखनऊ। कैबिनेट की बैठक में आवास विभाग के अंबार शुल्क नियमावली संबंधी प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आवास विभाग को सुझाव दिया गया है कि छोटे और बड़े शहरों के हिसाब से शुल्क का श्रेणीवार निर्धारण किया जाए। सभी शहरों के लिए एक समान शुल्क तय किया गया है। 1000 वर्ग मीटर तक 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 1000 से 5000 तक 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 5000 से 10000 तक 35 और 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक होने पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है।